

Representation on Foreign Equity in the Insurance Sector

*337. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have received any representation from the All India LIC and GIC Employees' Federation regarding 14 per cent equity participation of foreign institutional investment in insurance sector;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what is Government's reaction in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): (a) and (b) Representations have been received by Government from Associations of employees of Life Insurance Corporation of India (LIC) & General Insurance Corporation of India (GIC) against decision to open Insurance Sector and permitting of foreign equity.

(c) The Insurance Regulatory Authority Bill, 1998 has been introduced in the Lok Sabha on 15.12.1998 after fully considering all aspects regarding this sector.

आय की स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना से प्राप्त आय

*338. श्री जनार्दन यादव: क्या वित्त मंत्री 2 जून, 1998 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 667 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आय कि स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों ने अपनी आय घोषित की;

(ख) क्या सरकार को इस योजना से कोई आय प्राप्त हुई; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या क्या है ?

वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दन):

(क) स्वैच्छिक आय घोषणा योजना के अन्तर्गत कुल 4,75,133 व्यक्तियों ने अपनी आय की घोषणा की है।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत करों तथा ब्याज के रूप में 9745.52 करोड़ रुपये की धनराशि वसूल की है। स्वैच्छिक आय घोषणा योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण वसूली मुख्य आयकर प्रभार-वार रखी जाती है और उक्त जानकारी विवरण में दी गई है।

विवरण

स्वैच्छिक आय घोषणा योजना 1997 के अन्तर्गत घोषणाकर्ताओं/ घोषित आय/ वसूल किए गए कर

क्रमांक	प्रभार	वी.डी. आई. एस. 97 के अन्तर्गत कुल आय पर लगाया गया कर (करोड़ रु. में)	वी.डी. आई. एस. के कारण करों तथा ब्याज की वसूली (करोड़ रु. में)	घोषणाओं के आधार पर जारी किए जाने वाले प्रमाणोपत्रों की कुल संख्या
1	2	3	4	5
1.	चेन्नई	2,778.00	784.34	37,630
2.	चंडीगढ़	2,014.35	610.54	34,138
3.	अहमदाबाद	3,255.43	968.04	46,364
4.	बंगलौर	2,446.82	605.41	25,836
5.	पुणे	2,858.00	861.88	45,476